

सं. ए-32012/04/2020-प्रशा.IV(वि.का.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक :- 16 जून, 2025

कार्यालय आदेश सं. /2025

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 212/2024 (समसंख्यक फाइल) दिनांक 29.11.2024 के अधिक्रमण में, सीएसएस संवर्ग (अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी) से संबंधित समूह 'ख' पदों के संबंध में पदोन्नति/स्थायीकरण और अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान करने के लिए अधिकारियों के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

(i)	श्री जापान बाबू, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग	अध्यक्ष
(ii)	उप सचिव/निदेशक [प्रशासन IV(वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य
(iii)	श्री हंस राज मीणा, उप सचिव विधायी विभाग	सदस्य
(iv)	सुश्री प्रतिभा आहूजा, उप सचिव विधि कार्य विभाग	सदस्य
(v)	अवर सचिव [प्रशासन IV(वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य

2. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी।

3. यह विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(ज्योति स्वरूप अस्थाना)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. ए-32012/04/2020-प्रशा.IV(वि.का.) (ii)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- नवंबर, 2024

कार्यालय आदेश संख्या /2024

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 243/2023 (सम फाइल संख्या सहित) दिनांक 21.12.2023 के अधिक्रमण में, सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्ग से संबंधित समूह 'ख'/समूह 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति/स्थायीकरण तथा निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान करने के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति निम्नानुसार गठित की गयी है:-

(i)	डीएस/निदेशक [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	अध्यक्ष
(ii)	अवर सचिव [प्रशासन-I (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य
(iii)	श्री संजय कुमार गौतम, एएलसी विधायी विभाग	सदस्य
(iv)	अवर सचिव [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य
(v)	सुश्री श्वेता जायसवाल, एएलए विधि कार्य विभाग	सदस्य

- विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एन. नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं.ए-32012/04/2020-प्रशा.IV(वि.का.) (iii)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- नवंबर, 2024

कार्यालय आदेश संख्या /2024

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 37/2024 (सम फाइल संख्या सहित) दिनांक 27.02.2024 के अधिक्रमण में, सीएसएस/सीएसएसएस/सीएसओएलएस/जीसीएस संवर्ग से संबंधित समूह 'क'/समूह 'ख' पदों के संबंध में सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एसीपीएस)/संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है: -

(i)	एस/जेएस एवं एए [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	अध्यक्ष
(ii)	डीएस/निदेशक [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य
(iii)	डीएस/निदेशक [प्रशासन-I (विधायी विभाग)] विधायी विभाग	सदस्य

- विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एन. नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं.ए-32012/04/2020-प्रशा.IV(वि.का.) (iv)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- नवंबर, 2024

कार्यालय आदेश संख्या /2024

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 244/2023 (सम फाइल संख्या सहित) दिनांक 21.12.2023 के अधिक्रमण में, सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्ग से संबंधित समूह 'ग' पदों के संबंध में सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एसीपीएस)/संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है: -

(i)	डीएस/निदेशक [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	अध्यक्ष
(ii)	अवर सचिव [प्रशासन-IV (वि.का.)] विधि कार्य विभाग	सदस्य
(iii)	अवर सचिव [प्रशासन-I (विधायी विभाग)] विधायी विभाग	सदस्य

- विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एन. नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार